न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36 / 2024

अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. छोटूराम पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील ।

– सायलान

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र प्रेमा नायक (बनारसी) जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. सिलोचना पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. मंजू पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4. गीता पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा हाल गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
5. जगदीश पुत्र बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा हाल गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
6. सीमा पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा हाल गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
7. जुगती पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
8. राजू पति सावत्री पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
9. महेश पुत्र सावित्री पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा हाल गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10. केशर पत्नि श्योपाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल अप्रार्थीगण

12. मोहर सिंह पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
13. तीजा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
14. मीरा पुत्री साधूराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
15. अमरसिंह पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
16. रेशमा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
17. गीता पुत्री साधूराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
18. गुलाब पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी नोहर तहसील नोहर
19. राजू पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी नोहर तहसील नोहर
20. चन्दो पत्नि रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
21. प्रभूसिंह पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
22. सोनिका पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर
23. सुनिता पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13
व सपठित धारा 151 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– श्री ... कुमार बैनीवाल अधिवक्ता **सायलान**

श्री ... कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांक: 07/10/25

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी ने श्रीमान जी की अदालत में एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर.टी.एक्ट का अनवानी विनोद कुमार बनाम सिलोचना आदि वाद सं. 1116 सन 2024 दिनांक 20/11/2024 को पेश किया जिसमें आयन्दा तारीख पेशी दिनांक 02/02/2025 वास्ते तलबी मुर्करर की गयी किन्तु दिनांक 29/11/2024 को वादी के आवेदन पर पत्रावली पेशी में ली जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से सुनील कटारिया अधिवक्ता ने वाद वादी स्वीकार कर इकबाल जवाब पेश किया तथा अदालत द्वारा तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क किया गया इसी दिन पैरोकार राज ने जवाब पेश किया इसी दिन साक्ष्य वादी का शपथ–पत्र लिया जाकर बहस हेतु दिनांक 04/12/2024 निश्चित की गयी और दिनांक 04/12/2024 को बहस की जाकर निर्णय हेतु दिनांक 10/12/2024 निश्चित की गयी और दिनांक 10/12/2024 को वाद एक पक्षीय तौर पर डिक्री किया गया जो विधि–विरूध है तथा प्रार्थी के हकों को नुक्शान पहुंचाने वाला है प्रार्थी एक पक्षीय आदेश निरस्त करवाकर सुनवाई करवापाने का अधिकारी है।

वादी विनोद कुमार द्वारा दावा पेश किया गया कि रोही मौजा चक 18 जे.एस.एन तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता सं. 42/40 की कुल तादादी 7.3370 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा दादालाही है रिकार्ड में मृतक पूर्ण के नाम दर्ज है जिसमें उसका जन्म से हिस्सा है वादी का नाना पूर्ण फौत हो चुका है जिसके तीन वारिस हुये श्योपाल, हीराराम व साधुराम हुये हीराराम चुन्नी के गोद चला गया श्योपाल व साधुराम का देहान्त हो चुका है केसर व बनारसी हुये बनारसी फौत हो चुकी है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 हुये एवं सावित्री पुत्री बनारसी हुये जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी सं. 7 व 8 है साधूराम के वारिस प्रतिवादी सं. 11 ता 20 है एवं रामकुमार पुत्र साधुराम हुये रामकुमार फौत हो चुका है जिसके वारिस तरतीबी प्रतिवादी सं. 21 ता 25 है और वादी की भाई व बहिनों में बहिनों व भाण्जों ने अपना हक त्याग कर दिया है इसलिये घोषणा की जावे की न्यायालय द्वारा दिनांक 04/12/2024 को निर्णित किया गया वाद जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है वादी द्वारा न्यायालय को गुमराह करके निर्णय पारित करवाया गया है क्योंकि बनारसी व केसर पूर्ण की वारिस नहीं है वादी द्वारा जो वाद में सजरा खानदान दर्ज किया है वह फर्जी व कूटरचित है क्योंकि केसर चिमनाराम की पत्नि थी जिसका पूर्ण की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है फर्जी रूप से श्योपाल की पुत्री पत्नि दिखा कर फर्जी व कुटरचित दस्तावेज के आधार पर डिक्री पारित करवाई है यदि प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाता है तो रूपष्ट हो जायेगा सिविल न्यायालय द्वारा राजकुमार बनाम केसर देवी में निर्णय पारित किया जा चुका है कि केसर देवी व बनारसी पूर्ण मृतक की वारिस नहीं है इस तथ्य का वादी को ज्ञान था ये तथ्य न्यायालय से छुपाकर डिक्री हासिल की है जो अपास्त योग्य है। श्रीमानजी के न्यायालय में तथा माननीय राजस्व मंडल अजमेर तक दावे चल चुके है जिसमें बनारसी का हक घोषित नहीं हुआ है बनारसी ने बार–बार पुत्री व पत्नि बदल कर लिखा गया था किन्तु आजतक उसपर कोई निर्णय पारित नहीं हुये ना बनारसी को किसी अदालत द्वारा पूर्ण की वारिस घोषित किया गया।

अत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नि[illegible] सी.पी. सी. मय हल्फनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के विरूध [illegible] सं. 1116/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04/12/2024 निर[illegible] जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सिविल न्यायालय में अनवानी रामकुमार बनाम केसरदेवी आदि प्रकरण संख्या 30/2022 रामकुमर वगैरह ने वाद पेश कर निवेदन किया की बनारसी देवी, श्योलाल पुत्र पुर्णराम की पुत्री नही है उक्त वाद दिनांक 08.10.2024 को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमान अदालत के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है क्योंकि श्रीमान अदालत द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 1116/2024 अनवानी विनोद बनाम सिलोचना निर्णय दिनांक 10.12.2024 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 275/2025 अनवानी अमरसिंह बनाम विनोद कुमार अपील पेश की जा चुकी है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2025 निश्चित है इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र बिना किसी क्षेत्राधिकार के पेश किया गया है जो की काबिले खारिज है एंव श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा उक्त बाद में वर्णित भूमि पर स्थगन भी जारी किया गया है। उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक व हिस्सा है। वादी के नाना का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस श्योपाल, हिराराम व साधुराम पि. पूर्ण हुए जिसमें हिराराम जो कि चुन्नी पुत्र मोतीराम के गोद चला गया है तथा श्योपाल व साधुराम पि. पूर्ण का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस केसर (पत्नी व बनारसी पुत्री हुए बनारसी पुत्री श्योपाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एंव सावत्री पुत्री बनारसी हुए तथा सावत्री पुत्री बनारसी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 है व साधुराम पुत्र पूर्ण के वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 एंव रामकुमार पुत्र साधुराम हुए तथा रामकुमार पुत्र साधुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो की वादी के भाई बहिन है एंव प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 जो कि वादी की मृतक बहिन के वारिस है उपरोक्त भूमिमें कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है एंव प्रतिवादीया संख्या 9 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इ प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मोजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 42 के कुल खसरे 44 की फुल तादादी 7.3370 है. भूमि पूर्ण पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी अकेला काबिज है एंव शेष 1/2 हिस्सा भूमि में से 10/11 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 काबिज है व 1/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्य रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिये वाद पेश किया गया था जो की वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर डिकी किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। सायल का क[illegible] कि प्रकरण संख्या 116/2024 अनवानी विनोद कुमार बनमा सिलोचना [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही कर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय [illegible] एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क किया गया है जबकि पत्रावली में पेश दस्तावेजों के [illegible]बिक माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हनुमानगढ़ के उक्त प्रकरण की अपील विचाराधीन है एवं दिनांक 25.06.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 275/2025 अनवानी अमरसिंह बनाम विनोद कुमार में स्थगन भी जारी किया गया है अतः उक्त प्रकरण की अपील सक्षम न्यायालय मे अपील विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही है इसलिए प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। अतः उक्त विवेचनास्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 07/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested